न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नाई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 46/2018

आर.सी.एम.एस. :: 2018/00070

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर		धना पुत्र सुजा के का.मु. 1. भंवरलाल पुत्र धना के का.मु. 1/1 कालुराम पुत्र भंवरलाल 1/2 मदनलाल पुत्र भंवरलाल 1/3 नेमीचन्द पुत्र भंवरलाल 2. हरदेव पुत्र धना के का0मु0 2.1 अनाराम पुत्र हरदेव 3. हापू पुत्र धना 4. बाबू पुत्र धना 5. रामचन्द्र पुत्र धना 6. कन्हैयालाल पुत्र सुजाराम 7. धर्मीचन्द पुत्र सुजाराम 8. पारसमल पुत्र सुजाराम 9. दामोदर पुत्र सुजाराम 10. जीवराज पुत्र सुजाराम 11. सुगन पुत्र सुजाराम जातिगण माली निवासीगण कपूरडी तहसील रायपुर

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. श्री पृथ्वीसिंह, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक : 7/6/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कपूरडी पटवार मण्डल रायपुर II तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 2080/3 रकबा 0.10 बीघा किस्म गै0मु0 बाडा की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी धना पुत्र सुजा की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थीगण के पूर्वज को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 1057 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै0मु0 रास्ता थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम रायपुर II के नामान्तरकरण संख्या 1057 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में विवादित भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वजों के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर सनद जारी की थी। मोके पर आज भी आबादी बसी हुई है, जिसमें अप्रार्थीगण के रहवासीय मकान आदि स्थित है। तहसीलदार रायपुर ने द्वारा आवेदन में तथ्यों को छुपाकर एक प्रिन्टेड प्रफोर्मा में रिक्त स्थानों को भर कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जैर आराजी भूमि माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों के तहत आने वाली भूमि में से भिन्न है तथा इससे संबंधित नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों एवं इनके अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेजात् के अभाव में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कपुरडी, पटवार हल्का रायपुर II तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 2080/3 रकबा 0.10 बीघा किस्म गै.मु. बाडा की भूमि का अप्रार्थीगण के पूर्वज धना पुत्र सुजा के नाम आवंटन आदेश दिनांक 21..11.1975 के द्वारा गै0मु0 रास्ता में से बाडा हेतु भूमि का आवंटन किया गया एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 1057 दिनांक 23.12.1975 स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा उनको गैर खातेदार दर्ज किया गया था तथा उसके पश्चात आवंटी को खातेदार दर्ज किया गया। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन रास्ता दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थीगण के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है तथा कॉमन लैण्ड की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आंवटन नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। अतः ग्राम रायपुर II के नामान्तरकरण संख्या 1057 दिनांक 23.12.1975 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में तहसीलदार रायपुर के आदेश क्रमांक/924 दिनांक 21.11.1975 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम रायपुर II तहसील रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 1057 को निरस्त करावे।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति.जिला कलेक्टर, पाली